हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी
Board of School Education Haryana, Bhiwani
(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)
वंदेमातरम्

Circular No.BSEH/HOS(S.C.)/2026/01 Date:09.04.2026

सार्वजनिक सूचना

सभी सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा ऐसे छात्र जिनकी पढाई किन्हीं कारणों से बीच में छूट गई अथवा ऐसे छात्र जो नियमित शिक्षा ग्रहण करने के लिए दाखिला नहीं ले सकते समग्र शिक्षा के अन्तर्गत हरियाणा मुक्त विद्यालय के तहत जिला स्तर एवं उप–मण्डल स्तर पर अध्ययन केन्द्रों की स्थापना का जनहित में निर्णय लिया गया है। ये अध्ययन केन्द्र ओपन स्कूल प्रणाली में आवेदन करने वाले छात्रों का निशुल्क पूरे वर्ष में 30 दिन की कक्षाएं लगाकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगें तथा उचित अध्ययन करवाएंगे।

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा अध्ययन केन्द्र खोलने हेतु चयनित विद्यालयों से 25000/– सम्बद्धता शुल्क के रूप में जमा करवाए जाएंगें तथा राजकीय विद्यालयों द्वारा शुक्त जमा नहीं करवाया जाना है। अध्ययन केन्द्रो को बोर्ड द्वारा वर्ष के अन्त में अध्ययन केन्द्र में अध्ययन कर रहे सैकेण्डरी के छात्रों का 300/– रूपये तथा सीनियर सैकेण्डरी के छात्रों का 400/– रूपये मानदेय के रूप में भुगतान किया जाएगा।

इन अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु इच्छुक सरकारी व गैर सरकारी विद्यालय कृपया बोर्ड की ऑफिशिल वेबसाइट www.bseh.org.in से अध्ययन केन्द्र खोलने हेतु प्रोफार्मा Download करके पूर्णरूप से भरकर दिनांक 15.04.2026 तक बोर्ड कार्यालय में कार्य दिवसों में उपस्थित होकर दस्ती तौर पर मुक्त विद्यालय शाखा के कमरा नं. 94 में जमा करवा सकते हैं तथा ई–मेल www.adhos@bseh.org.in के माध्यम से भी भेज सकते है। अंतिम तिथि के बाद किसी आवेदन फार्म तथा अधूरे आवेदन फार्म पर विचार नहीं किया जाएगा।

सचिव